संख्याः 1928 /79–5–2017–282/98

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक
   सर्व शिक्षा अभियान,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
   उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2017

विषयः **उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के मानदेय के संबंध।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा "शिक्षामित्र योजना" परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखने के उद्देश्य से शासन के आदेश दिनांक 26–5–1999 द्वारा प्रारम्भ की गयी। लगभग 1,76,000 शिक्षा मित्रों के सृजित पदों के सापेक्ष 1,70,000 शिक्षा मित्रों में से 1,53,400 शिक्षा मित्र वर्ष 2001–02 से 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार के अन्तर्गत वित्त पोषित थे। इन शिक्षा मित्रों के मानदेय पर आने वाला व्यय का 65 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा तथा 35 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था। अवशेष 16,600 शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार की योजना में वर्ष 2010 तक संविदा पर नियुक्त किया गया था तथा इनके मानदेय पर आने वाला व्यय पूर्णतः राज्य सरकार के बजट से वहन किया जाता रहा है। शिक्षामित्रों को वर्तमान में रू0 3500/– प्रतिमाह नियत मानदेय 11 माह तक भुगतान किया जा रहा है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 19.06.2014 एवं तद्क्रम में निर्गत शासनादेशों द्वारा 1,37,000 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन किये जाने से विक्षुब्ध कतिपय याचीगण द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–34833/2014 आनन्द कुमार यादव बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 32572/2014 शिवम राजन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध 22 रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.09.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका महत्वपूर्ण अंश निम्नवत है–

"...For all these reasons, we allow the writ petitions in the following terms:

(i) The amendment made by the State Government by its notification dated 30 May 2014 introducing the provision of Rule 16-A in the Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education